



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245057
CG-DL-E-10042023-245057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1574]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945

No. 1574]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1653(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए, एक जनरेटर स्टेटर का, मिश्रौलिया घाट चौसा के पास, बक्सर (बिहार) से बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बिहार, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में एक जनरेटर स्टेटर के परिवहन के लिए, मेसर्स एल एंड टी-एमएचआई पावर टर्बाइन जेनरेटर प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	एपी-35वी-1577	वोल्वो (400 एचपी)
2.	एपी-31टीबी-6596	वोल्वो (400 एचपी)
3.	एपी-31टीई-6477	वोल्वो (400 एचपी)

4.	एचआर-55जी-6419	वोल्वो (एचपी 520)
5.	एचआर-55एच-2992	वोल्वो (एचपी 520)
6.	एचआर-55के-3939	वोल्वो (एचपी 520)
7.	एचआर-55क्यू-2470	वोल्वो (एचपी 520)
8.	एचआर-55क्यू-2494	वोल्वो (एचपी 520)
9.	जीजे-06 बी टी-2184	वोल्वो (एचपी 460)
10.	एमएच-06एक्यू-8261	वोल्वो (एचपी 520)
11.	एमएच-06एक्यू-8262	वोल्वो (एचपी 520)
12.	एमएच-06एक्यू-8263	वोल्वो (एचपी 520)
13.	एमएच-06एक्यू-8264	वोल्वो (एचपी 520)
14.	एमएच-06एक्यू-9262	वोल्वो (एचपी 520)
15.	एमएच-06एक्यू-9263	वोल्वो (एचपी 520)
16.	एमएच-46बीयू-0170	वोल्वो (एचपी 500)
17.	एमएच-46बीयू-0130	वोल्वो (एचपी 500)

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं	ट्रेलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों धुरियों संख्या	मे की	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एचआर55-पी6278-	गोल्डहोफ़र	6		156
2.	एचआर55-पी6279-	गोल्डहोफ़र	4		104
3.	एचआर55-पी6280-	गोल्डहोफ़र	6		156
4.	एचआर55-पी6281-	गोल्डहोफ़र	4		104
5.	एचआर55-पी6282-	गोल्डहोफ़र	8		208
6.	एचआर55-एम4304-	गोल्डहोफ़र	8		208
7.	एचआर55-एम4305-	गोल्डहोफ़र	8		208
8.	एचआर55-एन3236-	गोल्डहोफ़र	4		104
9.	एचआर55-एन3237-	गोल्डहोफ़र	4		104
10.	जीजे-06एक्सएक्स-9335	गोल्डहोफ़र	6		156
11.	जीजे-06जेडजेड6860-	गोल्डहोफ़र	6		156
12.	एमएच46-एच2217-	गोल्डहोफ़र	4		104
13.	एमएच46-एच2218-	गोल्डहोफ़र	4		104
14.	एमएच46-एच2398-	गोल्डहोफ़र	4		104
15.	एमएच46-एच2219-	गोल्डहोफ़र	6		156
16.	एमएच46-एच2220-	गोल्डहोफ़र	6		156
17.	एमएच46-बीएम0170-	गोल्डहोफ़र	6		156

18.	एमएच46-बीएम0171-	गोल्डहोफ़र	6	156
19.	एमएच46-बीएम0172-	गोल्डहोफ़र	3	78
20.	एमएच46-बीएम0173-	गोल्डहोफ़र	3	78
21.	एमएच46-बीएम0175-	गोल्डहोफ़र	4	104
22.	एमएच46-एच0601-	गोल्डहोफ़र	4	104
23.	एमएच46-एच0602-	गोल्डहोफ़र	4	104
24.	एपी31-टीबी6592-	गोल्डहोफ़र	4	104
25.	एपी31-टीबी6593-	गोल्डहोफ़र	4	104
26.	एपी31-टीबी6594-	गोल्डहोफ़र	4	104
27.	एपी31-टीबी6595-	गोल्डहोफ़र	6	156
28.	एपी31-टीबी6596-	गोल्डहोफ़र	6	156
29.	जीजे06-बीटी9485-	टीआईआई	4	104
30.	जीजे06-बीटी9250-	टीआईआई	6	156
31.	जीजे06-बीटी8472-	टीआईआई	4	104
32.	जीजे06-बीटी8267-	टीआईआई	6	156
33.	एमएच46-एच2393-	गोल्डहोफ़र	6	156

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार + सहायक भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
					लं (मी)	चौ. (मी)	ऊँ. (मी)	
जनरेटर स्टेटर	84+11.2 = 95.2	379	474.2	19.76	11.050	5.100	5.0	16(1+1/2) धुरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
	84+11.48 =95.48	379	474.48	19.76	11.050	5.100	5.0	12+12 धुरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
	70+11.48	379	460.48	23.02	11.050	5.100	5.0	10+10 धुरी

	=81.48							पंक्तियां (20 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
--	--------	--	--	--	--	--	--	---

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

- (i) उपरोक्त अधिक आयामी खेप का परिवहन, विशिष्ट मार्ग मिश्रौलिया घाट चौसा के पास, बक्सर (बिहार) से बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बिहार तक, 7.2 किमी के लिए, इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-
- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।
- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2023

S.O. 1653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of six months from the date of issue of this notification for transportation of one Generator Stator from Mishraulia Ghat Near Chausa, Buxar (Bihar) to Buxar Thermal Power Project, Bihar by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s PRISM logistics Private Limited is the transporter of M/s L&T-MHI Power Turbine Generators Private Limited for transportation of one Generator Stator for the aforesaid movement.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	AP-35V-1577	Volvo (400 HP)
2.	AP-31TB-6596	Volvo (400 HP)
3.	AP-31TE-6477	Volvo (400 HP)
4.	HR-55G-6419	Volvo (HP 520)
5.	HR-55H-2992	Volvo (HP 520)
6.	HR-55K-3939	Volvo (HP 520)
7.	HR-55Q-2470	Volvo (HP 520)
8.	HR-55Q-2494	Volvo (HP 520)
9.	GJ-06BT-2184	Volvo (HP 460)
10.	MH-06AQ-8261	Volvo (HP 520)
11.	MH-06AQ-8262	Volvo (HP 520)
12.	MH-06AQ-8263	Volvo (HP 520)
13.	MH-06AQ-8264	Volvo (HP 520)
14.	MH-06AQ-9262	Volvo (HP 520)
15.	MH-06AQ-9263	Volvo (HP 520)
16.	MH-46BU-0170	Volvo (HP 500)
17.	MH-46BU-0130	Volvo (HP 500)

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR-55P-6278	Goldhofer	6	156
2.	HR-55P-6279	Goldhofer	4	104
3.	HR-55P-6280	Goldhofer	6	156
4.	HR-55P-6281	Goldhofer	4	104
5.	HR-55P-6282	Goldhofer	8	208
6.	HR-55M-4304	Goldhofer	8	208
7.	HR-55M-4305	Goldhofer	8	208
8.	HR-55N-3236	Goldhofer	4	104
9.	HR-55N-3237	Goldhofer	4	104
10.	GJ0-6XX-9335	Goldhofer	6	156
11.	GJ-06ZZ-6860	Goldhofer	6	156
12.	MH-46H-2217	Goldhofer	4	104
13.	MH-46H-2218	Goldhofer	4	104
14.	MH-46H-2398	Goldhofer	4	104
15.	MH-46H-2219	Goldhofer	6	156
16.	MH-46H-2220	Goldhofer	6	156
17.	MH-46BM-0170	Goldhofer	6	156
18.	MH-46BM-0171	Goldhofer	6	156
19.	MH-46BM-0172	Goldhofer	3	78
20.	MH-46BM-0173	Goldhofer	3	78
21.	MH-46BM-0175	Goldhofer	4	104
22.	MH-46H-0601	Goldhofer	4	104
23.	MH-46H-0602	Goldhofer	4	104
24.	AP-31TB-6592	Goldhofer	4	104
25.	AP-31TB-6593	Goldhofer	4	104
26.	AP-31TB-6594	Goldhofer	4	104
27.	AP-31TB-6595	Goldhofer	6	156
28.	AP-31TB-6596	Goldhofer	6	156
29.	GJ-06BT-9485	TII	4	104
30.	GJ-06BT-9250	TII	6	156
31.	GJ-06BT-8472	TII	4	104
32.	GJ-06BT-8267	TII	6	156
33.	MH-46H-2393	Goldhofer	6	156

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Consignment Name	Unladen Weight axles + auxiliary weight (MT)	Weight of Consig nment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
					L (m)	W (m)	H (m)	
Generator Stator	84+11.2 = 95.2	379	474.2	19.76	11.050	5.100	5.0	16(1+1/2) axle rows (equivalent to 24 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)8
	84+11.48 =95.48	379	474.48	19.76	11.050	5.100	5.0	12+12 axle rows (equivalent to 24 axle rows) will be coupled in axle

								width. (16 tyres per axle row)
	70+11.48 =81.48	379	460.48	23.02	11.050	5.100	5.0	10+10 axle rows (equivalent to 20 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of the over dimensional consignment will be from Mishraulia Ghat Near Chausa, Buxar (Bihar) to Buxar Thermal Power Project, Bihar by road for 7.2 km.
- ii. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s PRISM logistics Private Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Andhra Pradesh, Haryana, Gujarat and Maharashtra.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/04/2022-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.